دائـــرة الـقــضـــاء
JUDICIAL DEPARTMENT

المحكـمـة الابـتـدائـيـة
कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस

صحيفة التماس إعادة النظر
पुनःसमीक्षा के लिए आवेदन

Abu Dhabi أبوظبي

التماس اعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى
मामले निर्णय में पुनःसमीक्षा के लिए आवेदन

رقم नंबर ______
سنة साल ______
تاريخ الحكم الملتمس فيه पुनःसमीक्षा आवेदन मामले का तारीख ______

مدني सिविल मुकदमा ☐
احوال شخصية पारिवारिक मुकदमा ☐
تجاري वाणिज्यिक मुकदमा ☐
عمالي रोजगार का मुकदमा ☐

1 بيانات الملتمس
आवेदक का विवरण

اسم الملتمس आवेदक का नाम ______
الجنسية राष्ट्रीयता ______
الهاتف फ़ोन ______
البريد الإلكتروني ई-मेल ______
العنوان पता ______
العنوان المختار (إن وجد) चयनित पता (यदि कोई हो) ______

2 بيانات الملتمس ضده
प्रतिपक्ष का विवरण

اسم الملتمس ضده प्रतिपक्ष का नाम ______
الجنسية राष्ट्रीयता ______
الهاتف फ़ोन ______
البريد الإلكتروني ई-मेल ______
العنوان पता ______

3 أسباب الإلتماس
अनुरोध के कारण

رجاء تلخيص اسباب الالتماس
कृपया याचिका के कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत करें

______

! لا تنسى ارفاق ترجمة باللغة الانجليزية لكافة المرفقات المتعلقة بالطلب
في حالة كان المدعى عليه لا يتحدث العربية

मुकदमे की फ़ाइल और सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी भाषांतर के साथ संलग्न
करना न भूलें यदि प्रतिवादी अरबी नहीं है

مقدم الطلب आवेदक ______
التوقيع हस्ताक्षर ______
التاريخ तारीख ______

جميع الحقوق محفوظة لدائرة القضاء في أبوظبي. ©2019
All rights reserved to Abu Dhabi Judicial Department, ©2019

مادة رقم (169)

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض.
- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.

مادة رقم (170)

ميعاد الالتماس ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حُكم بثبوته أو الذي حُكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وفي البند (7) من اليوم الذي يُعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا.

مادة رقم (171)

- يُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتبها لإدارة الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
- ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
- ولا يُقبل الالتماس إذا لم تُصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حُكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.

مادة رقم (172)

- تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
- على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
- ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طُلب ذلك وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
- ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

अनुच्छेद संख्या (169)

निम्नलिखित परिस्थितियों में पक्षों को अंत पारित निर्णयों की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं

1. यदि एक पक्ष धोखाधड़ी का दोषी है जैसे कि निर्णय पर प्रभाव डालना;
2. यदि निर्णय ऐसे मामलों में कागजात पर आधारित होता है, जहां निर्णय पारित होने के बाद प्रवेश होता है कि उन्हें गलत ठहराया गया था, या यदि कोई निर्णय सुनाया गया है कि उन्हें गलत ठहराया गया है, या यदि यह किसी गवाह की गवाही पर आधारित होता है, तो बाद में मालूम होती हे के झूठी गवाही दी गयी है;
3. यदि, निर्णय पारित होने के बाद, आवेदक ने कागजात प्राप्त किया है जो मामले में निर्णायक है और उनके प्रतिपक्ष ने वह प्रस्तुति रोका है;
4. यदि निर्णय कुछ देता है कि पार्टियों ने दावा नहीं किया, या अगर जो दावा किया गया से अधिक दिया;
5. यदि निर्णय का एक भाग दूसरे भाग के साथ संघर्ष में है;
6. जिनके लिए उसने मामले में प्रवेश नहीं किया निर्णय को एक तर्क माना जाता है या इसमें इस शर्त पर प्रवेश करें कि उसके प्रतिनिधि की धोखाधड़ी सिद्ध हो या जटिलता या घोर लापरवाही।
7. Iयदि निर्णय एक प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति को दिया जाता है जो मामले में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

अनुच्छेद संख्या (170)

सामान्य रूप से याचिका की नियुक्ति 30 दिन है और पूर्ववर्ती अनुच्छेद (1), (2) और (3) के लिए प्रदान किए गए मामलों में शुरू नहीं होगा, उस दिन को छोड़कर जिस दिन धोखाधड़ी हुई, या जिसमें अभिनेता ने जालसाजी कबूल की, या उस के निर्णय पारित किया गया था, या जिसमें एक झूठे गवाह को आंका जाता है, या जिसमें जब्त कागज दिखाई देता है, अनुच्छेद(6) के लिए दिए गए मामले में तारीख शुरू हो जाएगी जिस दिन से घोंसला दिखाई दिया या टकराया या घोर लापरवाही हुई, अनुच्छेद(7) में जिस दिन दोषी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को ठीक से सजा सुनाई जाती है।

अनुच्छेद संख्या (171)

1. याचिका उस अदालत को सौंपी जाएगी जिसने एक समाचार पत्र में निर्णय जारी किया था जो मामले को लाने के लिए सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही के संचालन के लिए अपना कार्यालय जमा करता है।
2. मुकदमे की फ़ाइल में मांगे गए निर्णय और याचिका की तारीख और और याचिका के कारण होगा, अन्यथा यह शून्य हो जाएगा।.
3. याचिका पर विचार करने वाली अदालत उसी जजों से बनी हो सकती है जिसने फैसला सुनाया।
4. याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी यदि वह याचिका के AED 500 के बीमा साथ नहीं है और यदि अपील से इनकार, या इसे नहीं स्वीकार किया, या अनुमति नहीं मिली हे तो बीमा जब्त कर लिया जायेगा ।

अनुच्छेद संख्या (172)

1. याचिका के पहले सुनवाई के बाद अदालत इसे स्वीकार किया जाता है तो, नई घोषणा की आवश्यकता के बिना, यदि विषय के लिए एक सुनवाई निर्धारित की फैसला करती है ।.
2. हालांकि, अदालत के लिए यह अनुमति होगी कि वह आवेदन और योग्यता के आधार पर एक फैसला सुनाए, यदि पक्षकारों ने वे विषय पर अपने आवेदन प्रस्तुत किया हे, और अदालत समीक्षा के लिए आवेदन नहीं करेगी सिवा जो केस में आवेदनों अनुमति दी हे।
3. याचिका को उठाने या स्वीकार करने से स्वचालित रूप से निष्पादन पर रोक नहीं लगती है, हालाँकि, याचिका पर विचार करने वाली अदालत अनुरोध करने पर निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दे सकती है और निष्पादन से गंभीर नुकसान होने की आशंका है जिसे दूर नहीं किया जा सकता।
4. निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश देने के लिए, न्यायालय को जमानत या आदेश की आवश्यकता होती है जो प्रतिवादी के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त है।
5. याचिका के खिलाफ जारी फैसले पर, या इसकी स्वीकृति के बाद , पुनर्विचार करने की अनुमति नहीं है।

جميع الحقوق محفوظة لدائرة القضاء في أبوظبي، ©2019
All rights reserved to Abu Dhabi Judicial Department, ©2019